न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या–02/2017 राज्य वनाम गुलट साह

–:: आदेश ::–

23.9.17 प्रस्तुत अधिग्रहण वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के पत्रांक – 134–3 दिनांक 30.01.2017 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

आरोप है कि दिनांक 24.10.2016 को बख्तियारपुर थाना द्वारा पकड़े गये 160 (एक सौ साठ) लीटर किरासन तेल के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के निर्देशानुसार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा दिनांक 25.10.2016 को ग्राम पंचायत–भटौनी तुलसिया चौक वार्ड नं०–11 में जाकर जाँच किया। जाँच के क्रम में किरासन तेल का अवैध रूप से श्री गुलट साह किरासन तेल का खरीद–बिक्री की गयी है। उपस्थित लाभुकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है, जिसके विरुद्ध सलखुआ थाना में प्राथमिकी संख्या–374/2016 दर्ज करायी गयी है। जप्त किरासन तेल को नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री रामस्वारथ पासवान पिता स्व0 खंतर पासवान, अनुज्ञप्ति संख्या–73/2008 को जिम्मेनामा पर सुरक्षित रखा गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक – 329–2 सपत्र दिनांक 17.02.2017 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को श्री गुलट साह पिता स्व0 अनुरूद्ध साह के नाम नोटिस कर तामिला हेतु भेजा गया। नोटिस का तामिला अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्यितारपुर से प्राप्त हुआ।

प्रतिपक्षी द्वारा लगातार दिनांक 25.02.2017, 04.03.2017, 25.03.2017, 15.04.2017, 06.05.2017, 03.06.2017, 19.09.2017 को अनुपस्थित रहें।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

लम्बे अन्तराल व्यतीत हो जाने पर भी प्रतिपक्षी की ओर से न तो कोई कारण–पृच्छा दाखिल किया गया और न ही कभी न्यायालय में उपस्थिति दी गयी।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर से प्राप्त अतिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए जप्त खाद्यान्न को अधिग्रहित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को निदेशित किया जाता है कि अधिग्रहित किरासन तेल जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से ए.पी.एल. दर पर बिक्री करवाकर राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

23.9.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

23.9.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1508-2/विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
25.09.017